

वनमण्डलाधिकारी का अभिमत

1 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन पर संभावित लाभों के प्रतिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे, यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावें।	यह प्रमाणित किया जाता है कि Construction of 4-Laning of Dhangaon to Borgaon, Indore to Edlabad NH347BG & 753L के संबंध में प्रभावित वनभूमि 0.938 हेक्टेयर जिसमें देशगांव एवं बोरगांव बुजुर्ग की वनभूमि 0.477 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.461 हेक्टेयर इस प्रकार कुल प्रभावित 0.938 हेक्टेयर, वनभूमि प्रभावित होती है। अतः परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर-एदलाबाद पी.आई.यू. खण्डवा को 0.938 हेक्टेयर वनभूमि को आवेदक संस्था को उपयोग पर प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
---	--


(देवाशु शेखर)
वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल खण्डवा सामान्य